भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3106

गुरुवार, 11 जुलाई, 2019/20 आषाढ़, 1941 (शक)

चारधाम कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु निधि आवंटन

3106. श्री अजय भट्टः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'चारधाम' कार्यक्रम के अंतर्गत बारहमासी सड़क परियोजनाओं हेतु आवंटित निधि कितनी है और इस प्रयोजनार्थ निर्धारित सड़कों की लंबाई कितनी है;

(ख) क्या उक्त परियोजना संबंधी कोई विवाद/मुकदमा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विवाद/मुकदमें के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु कोई संशोधित समय-सीमा तय की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): चारधाम कार्यक्रम के लिए कुल अनुमानित लागत 11,700 करोड़ रू है और चारधाम कार्यक्रम के लिए निर्धारित सड़कों की कुल लंबाई 889 किमी है।

(ख) और (ग): जी, हां। ये आरोप लगाते हुए कि चारधाम कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के लिए ईआईए अधिसूचना 2006 और इसके संशोधनों के तहत पर्यावरणीय मंजूरी लेना जरूरी है और जिसे प्राप्त नहीं किया गया है, सिटिजन फॉर ग्रीन दून, उत्तराखंड द्वारा एक याचिका माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर की गई है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेश दिनांकित 26.09.2018 के माध्यम से मामले का निपटान कर दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामले का प्रतिवाद कर रहा है और इस मामले में अगली तारीख 17.07.2019 है। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों पर कुछ गांवों के निवासियों ने

माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में मुकदमें दायर किए हैं। ज्यादातर मुकदमों का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा कर दिया गया है। शेष मुकदमों के लिए, उनके शीघ्र निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में तात्कालिक आवेदन डाले गए हैं।

(घ) और (ङ): चारधाम कार्यक्रम शुरूआत में मार्च, 2020 तक समापन के लिए निर्धारित किया गया था। हांलाकि, वन और पर्यावरण मंजूरी संबंधी मुकदमों के कारण कार्यक्रम में देरी हुई है और क्योंकि धारासु मोड़ से गंगोत्री खंड (94 किमी) भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में पड़ता है जिस पर कार्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा मास्टर प्लान के अनुमोदन के बाद ही शुरू किया जा सकता है। कार्यक्रम के समापन की तारीख चालू मुकदमों के अंतिम परिणाम और एमओईएफएंडसीसी द्वारा भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

******